

9-7-25

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी नैरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक ~~11-8-25~~ को पेश हो।

[Signature]

08.2025

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकुलाय उभय पक्षकारान् ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के बहस में विवाराधीन होने से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में पारित स्थगन आदेश को मूल वादपत्र के निस्तारण तक कन्फर्म किये जाने का निवेदन किया। वकुलाय उभय पक्षकारान् के निवेदन पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को वादपत्र के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाकर अन्तिम निस्तारण किया जाना उचित समझते हैं।

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में इस न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 09.07.2015 को मूल वाद पत्र उनवानी भगवानसहाय बनाम रिछपाल वगैरे के अन्तिम निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है तथा उभय पक्षकारान् को तादौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 1405 रकबा 0.94 हैक्टर तन् ग्राम रतनपुरा के मौका एंव राजस्व रिकार्ड की यथारिथति बनाये रखेंगे। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

[Signature]

(अनिल कुमार)

उपस्थित अधिकारी
श्रीमद्वैपुल (सीकर)

